



श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-110016

क्रमांक. एफ 21(01) / ला.ब.शा.रा.सं.वि. / हि.रा.मा. / 2021-22 / 1648

दिनांक 21.02.2023
२२

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संयुक्त निदेशक, राजभाषा प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार, द्वारा विश्वविद्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित सुधार करने का आदेश दिया गया:-

1. कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएँ।
2. विश्वविद्यालय में सजभाषा नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बनाई गई जांच समिति द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की निगरानी की जाती है। इस प्रयास को जारी रखें तथा इस संबंध में जांच-बिंदु भी बनाए जाएं। (जांच बिंदु समिति से संबंधित)
3. विश्वविद्यालय द्वारा नियम 11 का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि नियम 11 के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कोड Code, मैनुअल Manual, प्रक्रिया साहित्य procedural literature, मानक फार्म Standard Forms, नामपट Name Plate, साइन बोर्ड Sign Board, सील Seal, पत्र शीर्ष Letter heads, लिफाफे Envelops, रजिस्टरों के शीर्षक Headings of Registers, रंबड़ की मोहरें Rubber Stamps, पदधारिता बोर्ड Incumbency Board, कार्यवृत्त Minutes, प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं Published journals/magazines, विज्ञापन Advertisements, निमंत्रण पत्र Invitation cards द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) में किया जाए।

4. विश्वविद्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा है। भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और अनुपालन न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों को इससे संबंधित प्रावधानों से अवगत कराएं।

विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज जैसे:-दिन-प्रति-दिन के सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, टैंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापि, लाइसेंस (अनुज्ञापि), परमिट (अनुज्ञा पत्र) आदि सभी द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) में जारी किये जाए। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दस्तावेज पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाए जब तक वह द्विभाषी रूप में प्रस्तुत न किया जाएँ। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हिन्दी रूपांतर को अंग्रेजी रूपांतर से पहले/ऊपर रखा गया है।

5. राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी पत्राचार "क" क्षेत्र- विहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड, राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र एवं "ख" क्षेत्र- गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में शत प्रतिशत नहीं किया जा रहा है।

तथा 'ग' क्षेत्र— ओडिशा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्णाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल का लक्ष्य 75 प्रतिशत है जो प्रशंसनीय है। राजभाषा विभाग द्वारा 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के दर्जे दिए गए।

- 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उनके साथ संलग्न होगा। 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का शत-प्रतिशत उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है।
- 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते नियमानुसार देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएं।
- कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी फाइलों के कवरों पर विषय नियमानुसार द्विभाषी रूप में लिखे जाना अनिवार्य है।
- विभाग में उपलब्ध सभी सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जायें।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वह अपने—अपने विभाग/अनुभाग द्वारा निर्गत की जाने वाले आदेश/सूचना/अधिसूचना/पत्र/परिपत्र इत्यादि सभी द्विभाषी में जारी करें तथा उपर्युक्त बिन्दुओं का पालन करते हुए अपना कार्य परिपूर्ण करें।

उपर्युक्त के संदर्भ में जांच बिन्दु समिति से यह अनुरोध है कि हर महीने अंगित सप्ताह में सभी विभागों की फाइलों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत करें, जिससे हिंदी के कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी के स्वीकृति उपरांत निर्गत किया जा रहा है।


कुलसचिव (प्रमारी)

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ✓
1. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग/अनुभाग
 2. जांच बिन्दु समिति
 3. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें
 4. कुलपति के निजी सचिव
 5. कुलसचिव के निजी सचिव
 6. संबंधित पंजिका।


कुलसचिव (प्रमारी)